# न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)**

**वाद सं.:– 23/2019** **निर्णय दिनांक 02.03.2021**

1. जयसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
2. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व. सुल्तान सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम जैतपुर खींची, तहसील आमेर जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जयपुर
   जरिये उपायुक्त जोन–13, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर राज.।

–प्रतिवादीगण

**<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा</u>**

**निर्णय**

वादीगण की ओर से हस्तगत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया है कि ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि आ.ख.नं. 1095 लगायत 1098, 1101, 1103 लगायत 1106, 1111 लगायत 1115, 1119 लगायत 1123, 835 कुल खसरा किता 20 कुल रकबा 7.1600 है. एवं आराजी भूमि 1099, 1100, 1102 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.2600 है. वादीगण की सहखातेदारीता की अविभाजित भूमि है। जिससे **प्रतिवादी सं. 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रतिवादी सं. 1 की भूमि खसरा नं. 841 रकबा 0.3100 है. वादीगण की भूमि की सींव लगती भूमि है।** जिसकी निश्चित नाप से अधिक भूमि पर कब्जा करने की नियत से प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादीगण की उपरोक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि पर अवैध रूप से तोडफोड करने व वादीगण के बने हुए मकानात पशुओं के बाडे इत्यादि को बिना नापजोख व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही तोडने पर आमादा हो रहे है जबकि **उक्त भूमि का कोई सीमाज्ञान नही हुआ है तथा ना ही पत्थरगढी हुई है।** इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण वादीगण की उपरोक्त खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि में जबरन अवैध तोडफोड कर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है। जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर वादीगण को अपनी भूमि सुरक्षित रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का हस्तगत वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। इसके अतिरिक्त वादीगण के पास अन्य कोई कानूनी विकल्प नही था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:04 IST
Reason: SelfAttested

यदि प्रतिवादीगण वादीगण को वादीगण के उक्त रिहायशी मकानात व पशुओं के बाडे में जबरन तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बेदखल व तोडफोड कर देंगें तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नही हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण को इस कदर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित व आवश्यक है कि वे **बिना सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये वादीगण की कब्जेकाश्त की भूमि पर बने हुए रिहायशी मकानात व पशुओं के बाडे मे तोडफोड ना करें व अवैध बेदखली ना करें।**

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि आ.ख.नं. 1095 लगायत 1098, 1101, 1103 लगायत 1106, 1111 लगायत 1115, 1119 लगायत 1123, 835 कुल खसरा किता 20 कुल रकबा 7.1600 है. एवं आराजी भूमि 1099, 1100, 1102 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.2600 है. में वादीगण के बने रिहायशी मकानात, पशुओं के बाडे आदि में किसी प्रकार की तोड फोड ना करें तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं वादीगण को जबरन बेदखल ना करें व वादीगण में कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी ना करें।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के संदर्भ/समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किए गए –

1. असत्यापित छाया प्रति – जमाबन्दी सम्वत 2074–77
2. असत्यापित छाया प्रति – जमाबन्दी सम्वत 2074–77
3. सत्यप्रतिलिपी – जमाबन्दी सम्वत 2074–77
4. सत्यप्रतिलिपी – नकल नक्शा ट्रेस ख.नं. 841
5. असत्यापित छाया प्रति – नकल नक्शा हाल सर्वे शीट सम्वत 2041 दिनांक 20.06.2013
6. छाया प्रति – कुर्सीनामा दिनांक 20.06.2013 (सुल्तानसिंह) कार्यालय ग्राम पंचायत छापराडी

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए। जिसके क्रम में प्रतिवादी सं. 1 के बावजूद विधिवत तामिल उपस्थित [illegible]ने पर प्रतिवादी 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। जिसके क्रम में वादीगण द्वारा निरन्तर अवसरों उपरान्त भी सा[illegible] प्रस्तुत नही करने पर तथा स्वयं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:04 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहने बाबत कथन करने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर पत्रावाली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके क्रम में वादीगण की एक तरफा बहस अन्तिम सुनी गई।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वाके ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 1095 लगायत 1098, 1101, 1103 लगायत 1106, 1111 लगायत 1115, 1119 लगायत 1123, 835 कुल खसरा किता 20 कुल रकबा 7.1600 है. एवं आराजी भूमि 1099, 1100, 1102 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.2600 है. वादीगण की संयुक्त सहखातेदारीता की भूमि है तथा प्रतिवादी सं. 1 का उक्त वर्णित भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध प्रतीत नही होता है, परन्तु साथ ही यह भी निर्विवाद तथ्य है कि उपरोक्त वर्णित विवादित भूमि का विधिक सीमाज्ञान नही हुआ है (जो कि स्वयं वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में भी स्वीकारा गया है तथा यह भी उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 की भूमि वादीगण की भूमि की सींव लगवा भूमि है)। जिससे यह सिद्ध नही होता है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया जा रहा कार्य वादीगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारीता की भूमि की परिधि में किया जा रहा है, परन्तु साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी स्तर पर एवं किसी भी मान्य/सक्षम प्रकार से वादपत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन भी नही किया गया है, अपितु प्रतिवादीगण तो बावजूद प्राप्ति नोटिस के न्यायालय हाजा में उपस्थित ही नही हुये है। अतः ऐसी स्थिति में वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादीगण की खातेदारीता की उपरोक्त वर्णित भूमि आ.ख.नं. 1095 लगायत 1098, 1101, 1103 लगायत 1106, 1111 लगायत 1115, 1119 लगायत 1123, 835 कुल खसरा किता 20 कुल रकबा 7.1600 है. एवं आराजी भूमि 1099, 1100, 1102 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.2600 है. की सीमा में विधिक सीमाज्ञान व अन्य विधिक प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रकार की तोड फोड अथवा बेदखली की कार्यवाही ना करे।

निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:04 IST
Reason: SelfAttested

**सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रैक आमेर**
**मुख्यालय जयपुर**

## डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

**(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर**

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमति मनीषा लेघा (आर.ए.एस)**

**वाद सं.:– 23/2019** **निर्णय दिनांक 02.03.2021**

1. जयसिंह पुत्र स्व. हरिसिंह
2. लक्षमण सिंह पुत्र स्व. सुल्तान सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम जैतपुर खींची, तहसील आमेर जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, जयपुर
   जरिये उपायुक्त जोन–13, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर राज.।

–प्रतिवादीगण

**वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा**

**निर्णय**

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वें ग्राम जैतपुर खींची तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादीगण की खातेदारीता की उपरोक्त वर्णित भूमि आ.ख.नं. 1095 लगायत 1098, 1101, 1103 लगायत 1106, 1111 लगायत 1115, 1119 लगायत 1123, 835 कुल खसरा किता 20 कुल रकबा 7.1600 है. एवं आराजी भूमि 1099, 1100, 1102 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 0.2600 है. की सीमा में विधिक सीमाज्ञान व अन्य विधिक प्रक्रिया के अभाव में किसी प्रकार की तोड फोड अथवा बेदखली की कार्यवाही ना करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख .03.2021 को जारी किया गया।

दस्तखत–––

ओहदा–––

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:04 IST
Reason: SelfAttested

**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर**
**मुख्यालय जयपुर**

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 10.03.2021 को जारी कियागया।
दस्तखत———
ओहदा———

**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर**
**मुख्यालय जयपुर**

| मुद्दई | रूपये | पैसे | मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 रूपये | — | स्टाम्प अर्जीदावा | | — |
| स्टाम्प वकालतनामा | 2 रूपये | | स्टाम्प वकालतनामा | 4 रूपये | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प वजहसबूत | | |
| महन्ताना वकील | | | महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहन | | | खर्चा गवाहन | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराय हुक्मानामा | | | बाबत् इजराय हुक्मानामा | | |
| मुतफरित | 4 रूपये | | मुतफरित | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:27:04 IST
Reason: SelfAttested